कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—: कार्यालय आदेश :—

राजस्थान सरकार के मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत कार्मिक विभाग /राज्य सरकार, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर एवं मण्डल कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करने के उपरान्त राज्य सरकार के आदेश क्रमांक ए–5(51)कार्मिक/क–2/88–I दिनांक 29–4–99 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मृतक आश्रितों की संलग्न सूची के अनुसार **कनिष्ठ सहायक 24 एवं 09 सहायक कर्मचारी कुल** 33 अभ्यार्थियों की अनुकम्पात्मक नियमों के तहत नियुक्ति का अनुमोदन किया जाकर उनके नाम के आगे अंकित मण्डल में पदस्थापन हेतु आवंटित किया जाता है ।

नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व निम्न शर्तो की पालना सुनिश्चित करेगें :—

1. राज्य सरकार के मृतक आश्रितों में से लिपिक ग्रेड II के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करने से पूर्व आवेदकों की शैक्षिक/प्रशैक्षिक संबंधी योग्यता के मूल प्रमाण–पत्र प्राप्त कर उनकी वैधता एवं मान्यता आदि की पूर्ण जॉच करें एवं योग्यता के बारे में पात्रता रखने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करे। राज्य से बाहर की डिग्रियों/प्रमाण पत्र के सत्यापन/वैधता एवं मान्यता के संबंध में सावधानी पूर्वक प्रत्येक प्रकरण की जॉच करेगें।
2. मृत राज्य कर्मचारियों के परिवार का कोई भी सदस्य किसी सरकारी /केन्द्र/निगम बार्ड या उपक्रम में कार्य ग्रहण तिथि तक नियोजित नहीं है इस हेतु अनुकम्पात्मक नियमों के नियम 5 के अनुसार शपथ पत्र आश्रित से प्राप्त करें । (मृतक की पत्नी पर यह नियम लागू नहीं होगा ।)
3. मृतक की पुत्री की नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया हो तो उसके पदस्थापन के समय तक वह अविवाहित है इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करें।
4. कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश दिनांक 27.02.01 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में मृतक के आश्रितों के पालन पोषण/भरण पोषण करने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त करेंगे । कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27.02..01 की पालना नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती हैं ।
5. दत्तक पुत्र पुत्रियों के संबंध में वैधता की जांच हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानुसार करेंगे ।
6. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ–7(1) कार्मिक (क–2) (95) दिनांक 08.04.03 के अनुसार दिनांक 01.06.02 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे, किन्तु राज्य सरकार (डीओपी) के आदेश दिनांक 29.10.05 के अनुसार विधवा की नियुक्ति में यह प्रावधान लागू नहीं होंगे ।
7. संलग्न सूचियों में अंकित अभ्यर्थियो के नियुक्ति आदेश राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक 7 (2)डीओपी/ए–11/06 दिनांक 20.01.06 एवं वित (नियम डीविजन) विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ 12 (6) एफ डी /रूल्स/06 दिनांक 13.03.06 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनिज के रूप में किया जा कर फिक्स रेमुनरेशन पर नियुक्ति अनुमोदन की जाती हैं ।
8. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनिज) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मंह्गाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा ।
9. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनिज) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नहीं होगी ।
10. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं माना जावेगा ।
11. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा । पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश अनुज्ञात किया जावेगा ।
12. प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से पेंशन अंशदान की कटौती होगी ।
13. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति अभ्यर्थी राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(2) कार्मिक/ए–II/ 2006 दिनांक 05.07.10 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होना चाहिये तथा उक्त नियमों के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.05.2017 के अनुसार मृतक आश्रित को कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण करने की अहर्ता नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की अवधि में अर्जित करनी होगी। यदि उक्त अवधि में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नहीं करता है तो जितनी विलम्ब अवधि से वह कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करेगा उसका परिवीक्षाकाल उतनी ही अवधि का आगे बढ़ जायेगा।

14. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति अभ्यर्थी की टंकण परीक्षा अब अधिसूचना दिनांक 05.07.10 के अनुसार कम्प्युटर से ली जावेगी जिसे आश्रित को नियुक्ति के तीन वर्ष की अवधि में उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेगें। इन्हे आगामी वेतन वृद्धि टंकण परीक्षा उत्तीण करने के पश्चात् ही देय होगी। कार्मिक (क–2) विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 07.09.09 के अनुसार मृत राज्य कर्मचारी की विधवा को टंकण परीक्षा करने से छूट दी जायेगी।

15. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करेंगे तथा नियुक्ति अधिकारी मृतक आश्रित के अच्छे आचरण का सत्यापन सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक से करवाने के पश्चात ही आदेश जारी करेंगें ।

16. राज्य सरकार की अधिसूचना एफ–5(51)डीओपी/ए–II/88 पीटी जयपुर दिनांक 08.04.15 के अनुसार नियम–5 में हुए संशोधन की पालना सुनिश्चित करें।

17. यदि मृतक आश्रित प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है तो प्रथम प्राथमिकता प्रारंभिक शिक्षा के रिक्त पद पर दी जायेगी । रिक्त पद न होने पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही माध्यमिक शिक्षा में नियुक्ति आदेश जारी किये जा सकेगें।

18. माध्यमिक शिक्षा सेटअप में स्वीकृत स्टाफिंग पेटर्न के अनुसार ही पदस्थापन किया जाये।

19. कार्मिक(क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक पं.5(51) कार्मिक/क–2/88 पार्ट जयपुर दिनांक 31.05.2016 के अनुसार आवेदक विवाहित है तो उसकी पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री यदि पूर्व से ही (नियम–5 में यथा परिभाषित) नियोजित है, को मृतक कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित न होंने के कारण, नियम–2(ग) के तहत आश्रित की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। फलतः ऐसे पुत्र को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देय नहीं होगी।

20. जिन अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है उन्हे ऐसे पद पर नियुक्ति प्रदान की जावे जिसपर किसी प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं हो ।

चूकि विभाग में लिपिक ग्रेड II/सहायक कर्मचारी के लिए जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्ति अधिकारी हैं अतः संलग्न सूची के अनुसार पदस्थापन आदेश 15 दिवस के भीतर जारी कर पदस्थापन आदेश 02 प्रतियों में इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवावें एवं आदेश की प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे ।

उक्त आदेश जारी कर दो प्रतियॉ उप शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राज0 जयपुर, एक प्रति उप शासन सचिव कार्मिक (क–2) विभाग, शासन सचिवालय,राज0 जयपुर को एवं इस कार्यालय को भी भिजवाना सुनिश्चित करें ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार (सूची)

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/साप्र/ए–4/3901/नियुक्ति मूल/2018/ दिनांक : 9.5.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. उप सचिव (एम) मुख्य मंत्री सचिवालय,राज0जयपुर ।
2. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, राज0 जयपुर ।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राज0 जयपुर ।
4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राज0 बीकानेर ।
5. उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, ... को संलग्न सूची (कनिष्ठ सहायक तथा सहायक कर्मचारी के कुल) में उल्लेखित अभ्यार्थियों के आवेदन पत्र मूल में ही संलग्न कर निर्देशित किया जाता हैं कि रिक्त पदो के अनुसार नियुक्ति आदेश जारी करवाकर पालना सुनिश्चित करावें ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रथम).................................. ।
7. श्री..को देकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण उप निदेशक,माध्यमिक...................कार्यालय में देकर पावती लेकर आवे।
8. स्टाफ आफिसर, निजी अनुभाग ।
9. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग।
10. रक्षित पत्रावली ।

अतिरिक्त निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आवेदित पद :– कनिष्ठ सहायक

मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रित जिन्हे निदेशालय के आदेश क्रमांक शिविरा/ माध्य /साप्र/ए–4/ 3901/नियुक्ति मूल/2018/ दिनांक .... के तहत 24 **कनिष्ठ सहायक** पद पर नियुक्ति का अनुमोदन किया जाकर मण्डल आवटन किए गए हैं। जिनका विवरण इस प्रकार है :-

(स्थिर पारिश्रमिक 14,600/–रूपयें मासिक)

क्र.सं.	आवेदक का नाम, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि	मृतक से संबंध	आवेदन तिथि तथा आवेदित पद	मृतक का नाम मय पदनाम	मृत्यु तिथि	आवंटित मण्डल
1	2	3	4	5	6	7
1	गौरव सिंह, सी0सै0 20.03.1992	पुत्र	21.03.2018 कनिष्ठ सहायक	स्व0 हेमन्त सिंह, चश्रेक	17-02-18	बीकानेर
2	रोमिल कुमार, सी0सै0 13.07.1984	पुत्र	05.04.2018 कनिष्ठ सहायक	स्व0 राजेन्द्र कुमार, अध्यापक	17-03-18	बीकानेर
3	भीमकरण, सी0सै0 25.07.1994	पुत्र	06.2.2018 कनिष्ठ सहायक	स्व0 नेतराम, प्रधानाध्यापक	17-12-17	बीकानेर
4	विकास मीणा, सी0सै0 15.01.1998	पुत्र	08.02.2018 कनिष्ठ सहायक	स्व0 मदन लाल, अध्यापक लेवल–I	02-01-18	चुरू
5	धमेन्द्र सैन, सी0सै0 15.06.1995	पुत्र	09.04.2018 कनिष्ठ सहायक	स्व0 राधेश्याम, चश्रेक	05-03-18	जयपुर
6	सविता यादव, बी0ए0 15.08.1995	पुत्री	23.03.2018 कनिष्ठ सहायक	स्व0 गिर्राज प्रसाद, प्र0शा0से0	29-01-18	जयपुर
7	विकास कुमार जोनवाल, सी0सै0 30.08.1995	पुत्र	27.01.2016 कनिष्ठ सहायक	स्व0 बाबूलाल जोनवाल, चश्रेक	14-12-15	जयपुर
8	प्रमोद पारीक, एम0कॉम0 31.12.1994	पुत्र	06.02.2018 कनिष्ठ सहायक	स्व0 जयप्रकाश पारीक, स0प्र0अ0	09-01-18	जोधपुर
9	श्रवण कुमार , बी0ए0 23.01.1993	पुत्र	26.02.2018 कनिष्ठ सहायक	स्व0 कुयाराम, स0प्र0अ0	22-01-18	पाली
10	भारतेन्दु मीणा, सी0सै0 10.05.1993	पुत्र	02.02.2018 कनिष्ठ सहायक	स्व0 ज्योतिस्वरूप मीणा, प्रयोगशाला सहायक	16-12-17	पाली
11	ममता कुंवर, सी0सै0 24.10.1984	पत्नी	10.01.2018 कनिष्ठ सहायक	स्व0 धनपत सिंह, वरिष्ठ अध्यापक	19-11-17	पाली

12	मंजरी राणा, बीएससी 03.12.19[illegible]	पुत्री	22 12.2017 कनिष्ठ सहायक	स्व0 प्रेम प्रकाश राणा, वरिष्ठ सहायक	19-11-17	अजमेर
13	जितेन्द्र मालाकार, बी0ए0 09.08.1997	पुत्र	20.03.2018 कनिष्ठ सहायक	स्व0 गोपाल लाल मालाकार, कनिष्ठ सहायक	0[illegible]-03-18	अजमेर
14	अभिषेक दाधीच, बी0कॉम 05.02.1997	पुत्र	12.03.2018 कनिष्ठ सहायक	स्व0 रामावतार, वरिष्ठ अध्यापक	10-02-18	अजमेर
15	अनुराधा गवेन्द्रा, सी0सै0 31.08.1989	पत्नी	13.11.2017 कनिष्ठ सहायक	स्व0 महेश कुमार खीची, वरिष्ठ अध्यापक	22-10-17	अजमेर
16	नीरज कुमार, एम0ए0 27.05.1991	पुत्र	20.11.2017 कनिष्ठ सहायक	स्व दर्शन लाल , अध्यापक लेवल I	15-10-17	अजमेर
17	प्रभु पुरी, सी0सै0 15.10.1998	पुत्र	11.11.2017 कनिष्ठ सहायक	स्व0 भंवर पुरी, चश्रेक	02-10-17	अजमेर
18	नरेन्द्र कुमार, सी0सै0 20.02.2000	पुत्र	03.06.2017 कनिष्ठ सहायक	स्व0 कैलाशचन्द प्राध्यापक	07-05-17	अजमेर
19	सुशीला आर्य, एम0ए0 14.01.1993	पुत्री	16.02.2018 कनिष्ठ सहायक	स्व0 गोरधन लाल, प्राध्यापक	04-01-18	अजमेर
20	मनोज कुमार तांडी, बी0ए0 14.07.1998	पुत्र	08.03.2018 कनिष्ठ सहायक	स्व0 भूराराम तांडी, अध्यापक लेवल–I	04-02-18	अजमेर
21	प्रताप सिंह बी0ए0 08.07.1992	पुत्र	12.02.2018 कनिष्ठ सहायक	स्व0 स्वरूप सिंह, चश्रेक	08-01-18	अजमेर
22	अजीतसिंह, सी0सै0 बीबीए0 12.12.1993	पुत्र	23.09.2017 कनिष्ठ सहायक	स्व0 थान सिंह, वरिष्ठ अध्यापक	30-06-17	भरतपुर
23	विस्मित जोशी, सी0सै0 01.10.1999	पुत्र	20.03.2017 कनिष्ठ सहायक	स्व0 नरेश कुमार, अध्यापक	29-01-17	उदयपुर
24	मनीष कटारा, सी0सै0 01.08.1999	पुत्र	13.02.2017 कनिष्ठ सहायक	स्व0 वालु कटारा, अध्यापक	14-12-16	उदयपुर

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आवेदित पद :– च.श्रे.क.

मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रित जिन्हे निदेशालय के आदेश क्रमांक शिविरा/ माध्य /साप्र/ए- 4/ 3901/नियुक्ति मूल/2018/ दिनांक .... के तहत 09 च.श्रे.क. पद पर नियुक्ति का अनुमोदन किया जाकर मण्डल आवंटन किए गए हैं। जिनका विवरण इस प्रकार है :– **(स्थिर पारिश्रमिक 12,400/–रूपयें मासिक)**

क्र.सं.	आवेदक का नाम, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि	मृतक से संबंध	आवेदन तिथि तथा आवेदित पद	मृतक का नाम मय पदनाम	मृत्यु तिथि	आवंटित मण्डल
1	2	3	4	5	6	7
1	नरेन्द्र कुमार, सातवीं, 22.08.1990	पुत्र	23.03.2018 चश्रेक	स्व0 विनोद कुमार, वरिष्ठ सहायक	23-02-18	चुरू
2	रजवण, साक्षर 01.07.1970	पत्नी	24.01.2018 चश्रेक	स्व0 रतीराम, व्याख्याता	18-12-17	चुरू
3	करण मीणा, आठवीं 17.02.2000	पुत्र	19.02.2018 चश्रेक	स्व0 नरेश कुमार, प्रधानाध्यापक	06-01-18	चुरू
4	कमलेश कुमार, आठवीं 25.05.1991	पुत्र	09.04.2018 चश्रेक	स्व0 शीशराम, अध्यापक	02-03-18	चुरू
5	धर्मवीर, सैकेण्डरी 01.09.1982	पुत्र	20.03.2018 चश्रेक	स्व0 परसाराम, प्रधानाध्यापक	10-02-18	चुरू
6	महिपाल सिंह, सैकेण्डरी 01.07.1984	पुत्र	18.01.2016 चश्रेक	स्व0 भंवरदान, अध्यापक	12-11-15	जोधपुर
7	प्रकाश कंवर, आठवीं 30.08.1977	पत्नी	04.10.2017 चश्रेक	स्व0 शैलेन्द्र सिंह, कनिष्ठ सहायक	03-09-17	जोधपुर
8	विजेन्द्र, आठवीं 19.07.1985	पुत्र	04.01.2018 चश्रेक	स्व0 रमेश चन्द कनिष्ठ सहायक	01-12-17	अजमेर
9	विमल चरपोटा, नौवी 03.03.1988	पुत्र	01.02.2016 चश्रेक	स्व0 कमला चरपोटा, चश्रेक	25-12-15	उदयपुर

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर